राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 25(डी)154 लेखा/निकाशि/नीलामी/पार्ट–4/1839 दिनांक 5-12-12

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (महिला एवं पुरूष)
राजस्थान जयपुर।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 में नियमानुसार प्रकिया अपनाकर निस्तारण करवाकर सूचना शीघ्र प्रेषित करने के कम में।

संदर्भ :– संयुक्त सचिव, वित्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग के पत्र कमांक प6(8)वित्त/सा.वि.ले.नि/2005 के परिपत्र संख्या 11/2012 दिनांक 10.04.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुपयोगी भण्डार सामग्री के नकारा घोषित कर नीलामी का अभियान चलाये जाने हेतु सा.नि.ले.नि. के परिपत्र संख्या 11/2011 दिनांक 24.06.2011 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

संयुक्त सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) द्वारा जारी सन्दर्भित परिपत्र में वर्णित नियमों में शिथिलन तथा अन्य प्रावधानों की अवधि दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ाई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय में तत्परता से नकारा सामान नीलामी निस्पादन नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर शीघ्र सम्पन्न करावे तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुपयोगी एवं नकारा सामान की राशि का कुल पुस्तक मूल्य तथा नीलामी से प्राप्त कुल राशि से अवगत करावें। वर्ष 2012–13 में नीलामी से प्राप्त सम्भावित आय का भी उल्लेख करें।

भवदीय

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 25(डी)154 लेखा/निकाशि/नीलामी/पार्ट–4 दिनांक

प्रतिलिपी :– श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि कृपया विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

E:\accounts vibhag\bunker ji\latter.doc